

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 169 /FP/UK/ROAD/12372/2015 देहरादून: दिनांक: 14 जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद स्नप्रयाग के अन्तर्गत पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.35 है 0 वन भूमि  
का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

FP/UK/ROAD/12372/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड  
कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः  
जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1.00 है 0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है 0 50 से कम अनुपात में वृक्ष  
प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/ 12372 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
- प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।

(एस0टी0एस0 लेखा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद स्ट्रप्रयाग के अन्तर्गत पाण्डवथली—उछोना—माना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.35 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
FP/UK/ROAD/12372/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 0.35 है० राजस्व भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1.00 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लच्छा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निवेशालय उत्तराखण्ड

देहरादून

तिथि : 14 /07/2016

स्थान : देहरादून